

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,  
उत्तराखण्ड, 87-राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक: नि० १०२ / 3-5 (वर्षा जल संरक्षण)

दिनांक, देहरादून, २२ दिसम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता, मसूरी, अपर यमुना,  
तथा भू०सं० कालसी।

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2017-18 में वन विभाग की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-101-11-00-वर्षा जल संरक्षण" के मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रभागवार भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन।

**संदर्भ:** वित्त नियंत्रक/इस कार्यालय का पत्रांक 1164/3-5 (वर्षा जल संरक्षण) दि० 19.12.2017।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र से वित्तीय वर्ष 2017-18 में वन विभाग के अनुदान सं०-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-101-11-00-वर्षा जल संरक्षण" के अन्तर्गत वर्तमान में आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक के अनुमोदन से प्रभागवार/कार्यमदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन (पूर्व में इस कार्यालय का पत्रांक 11/3-5 (वर्षा जल संरक्षण) दिनांक 03.07.2017 आवंटित लक्ष्यों के अतिरिक्त) निम्न विवरणानुसार किया जाता है। कृपया संदर्भित पत्र से आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगत शासनादेश एवं बजट आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाये।

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य (इस मानक मद में कोई भी एक कार्य रु० 5.00 लाख से अधिक लागत का न हो)	
		भौतिक लक्ष्य (20000 ली० क्षमता के जलकुण्ड निर्माण) (सं० में)	आवंटित धनराशि (रु० लाख में)
1	चकराता वन प्रभाग	65	13.00
2	भू०सं० कालसी वन प्रभाग	60	12.00
3	मसूरी वन प्रभाग	65	13.00
4	अपर यमुना वन प्रभाग	60	12.00
योग-		250	50.00

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का यथाशीघ्र उपयोग सुनिश्चित करते हुये भौतिक-वित्तीय प्रगति मासिक प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

(गम्भीर सिंह)

प्रमुख वन संरक्षक,  
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

संख्या: नि० १०२ (1)/3-5 (वर्षा जल संरक्षण) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, शिवालिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, शिवालिक एवं यमुना वृत्त, देहरादून।

(गम्भीर सिंह)

प्रमुख वन संरक्षक,  
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

१